3=7=00

नो०प्रति०प्रा०प०सं० 1596 दिनांक 03-8-2022

नकल आदेश दिनांक ~~05-7-22~~ 06-7-2022

वाद सं० T202210330303205 धारा 80 राजस्व संहिता ग्राम अकबरपुर पर० सांडी तहसील बिलग्राम जिला हरदोई माधुरी सिंह महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक अमितकुमार बनाम [illegible]

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी न्यायिक तहसील बिलग्राम जिला हरदोई।

नकल क्लर्क

(10)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर),न्यायिक
मण्डल :लखनऊ,जनपद :हरदोई,तहसील :बिलग्राम
वाद संख्या :-3205/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210330303205
माधुरी सिंह महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक अमित कुमार बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अमित कुमार सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी बांसा परगना मल्लावां तहसील बिलग्राम जिला हरदोई नें अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 मे उल्लिखित किया है कि ग्राम आदमपुर परगना साण्डी तहसील बिलग्राम की गाटा संख्या–1478/1.0680 हे0 प्रार्थी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार बाकब्जा है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नही होता है। बल्कि महाविद्यालय संचालित है उपरोक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य आदि न होने के कारण धारा 80 के अन्तर्गत लगान मुक्त करते हुए अकृषक/व्यवसायिक घोषित करने की याचना की है।

तहसीलदार बिलग्राम से आख्या प्राप्त की गयी। नायब तहसीलदार बिलग्राम ने अपनी आख्या दिनांक 05.07.2022 में उल्लिखित किया कि आदमपुर परगना साण्डी तहसील बिलग्राम जिला हरदोई की गाटा संख्या 1478/1.0680 प्रार्थी अमित कुमार सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी बांसा परगना मल्लावां तहसील जिला हरदोई के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज खतौनी है, उपरोक्त भूमि में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नही किया जा रहा है बल्कि उपरोक्त भूमि पर महाविद्यालय का निर्माण कर औद्योगिक उपयोग में लायी जा रही है।

अन्त में गाटा संख्या–1478/1.0680हे0 स्थित ग्राम आदमपुर परगना साण्डी तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के उ0प्र0रा0सं0 की धारा–80 के अन्तर्गत कोर्ट फीस मु0–19500रू0 व घोषणा शुल्क मु0–19500रू0 का स्टाम्प जमा करने के उपरांत भू–राजस्व मुक्त घोषित करने की रिपोर्ट प्रेषित की है।

तत्पश्चात् प्रार्थी अमित कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी बांसा द्वारा मालियत की एक प्रतिशत धनराशि–19500/रूपये चालान संख्या 46 द्वारा दिनांक 17.01.2020 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा हरदोई में जमा कर चालान की प्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी एवं घोषणा शुल्क हेतु मु0–19500/रूपये का स्टाम्प जमा करके चालान पत्रावली पर दाखिल किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं नायब तहसीलदार बिलग्राम की आख्या से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि को राजस्व संहिता–2006 की धारा–80 के अन्तर्गत भू–राजस्व मुक्त घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर),न्यायिक
मण्डल :लखनऊ,जनपद :हरदोई,तहसील :बिलग्राम
वाद संख्या :-3205/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210330303205
माधुरी सिंह महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक अमित कुमार बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः आदेश किया जाता है ग्राम आदमपुर परगना साण्डी तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई की खतौनी सन् 1424–1429फ0 की खाता संख्या–750 पर अंकित गाटा सं0–1478 / 1.0680हें0 के आंशिक भाग रक्वा 0.0666हे0 जो प्रार्थी माधुरी सिंह महाविद्यालय प्रबन्धक अमित कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी बांसा परगना नवासी बांसा परगना मल्लावां तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के नाम दर्ज है, पर किसी प्रकार का कृषिकार्य, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बागवानी से भिन्न उक्त भूमि पर महाविद्यालय का निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने के कारण भू–राजस्व मुक्त / अकृषिक घोषित की जाती है। नायब तहसीलदार बिलग्राम की आख्या दिनांक 05.07.2022 इस आदेश का अंग रहेगी। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक–05.07.2022

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी,
तहसील बिलग्राम जिला हरदोई।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर),न्यायिक
मण्डल :लखनऊ,जनपद :हरदोई,तहसील :बिलग्राम
वाद सख्या :-3205/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202210330303205
माधुरी सिंह महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक अमित कुमार बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

संशोधित आदेश

पत्रावली प्रार्थनापत्र दिनांक 06.07.2022 के साथा प्रस्तुत हुई। अवलोकन किया गया वादी द्वारा गाटा संख्या 1478/1.0680हे0 स्थित ग्राम आदमपुर परगना साण्डी तहसील बिलग्राम जिला हरदोई का सम्पूर्ण रकबा अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गयी जिस पर तहसीलदार बिलग्राम की जांच आख्या गाटा संख्या 1478/1.0680हे0 के बावत प्राप्त हुई उक्त जांच आख्या के आधार पर दिनांक 05.07.2022 को आदेश पारित किया गया जिसमें गाटा संख्या 1478/1.0680हे0 के आंशिक भाग रकबा 0.0666 हे0 के बावत आदेश पारित हो गया जो त्रुटिपूर्ण है। तथा संशोधित होने योग्य है। अतः निम्नवत संशोधित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 05.7.2022 जो ग्राम आदमपुर परगना साण्डी तहसील बिलग्राम जिला हरदोई की गाटा संख्या 1478/1.0680 के आंशिक भाग रकवा 0.0666हे0 के सम्बन्ध में है, उसके स्थान पर गाटा संख्या 1478/1.0680 हे0 के सम्पूर्ण रकवे पर कृषि कृषिकार्य, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, वागवानी से भिन्न उक्त भूमि पर महाविद्यालय का निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने के कारण भू-राजस्व मुक्त/अकृषक घोषित की जाती है। शासनादेश के अनुसार उदघोषित भूमि पर 05 वर्ष के अन्दर निर्माण करा लिया जाये अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। यह आदेश पूर्व पारित आदेश दिनांक 05.7.2022 का अंग रहेगा पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो

दिनांक–6.07.2022

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी न्यायिक
तहसील बिलग्राम जिला हरदोई।

8

02-8-22
04-8-22
02 ₹5
8
04-8-22

8